



राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर राज.-302001  
Tel. 0141-2220743/Fax-0141-2222047

E-Mail. smc-rajesic@ nic.in  
Website- www.esicrajasthan.com  
(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्या: 15-यू-11 / पीटीएमआर-नियुक्ति / एसएमसी / 08

दिनांक 13.07.2009

### वर्ष 2009 का कार्यालय आदेश सं. 5

मुख्यालय के निर्देशानुसार पीटीएमआर नियुक्ति, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत मुख्यालय के पत्र संख्या Pt. File No. U-13/12/13/2005-med.1/PTMR dated 09-09-08 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपी गई शक्तियों के अधीन एवं मुख्यालय द्वारा जारी पत्र सं. यू-13/12/13/05 चिकि.1/पी.टी.एम. आर. दिनांक 1.10.2008 एवं 21.10.2008 के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर उनके नाम के आगे अंकित विवरणानुसार दिनांक 01.07.2009 से 30.06.2010 तक एक वर्ष या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्ति प्रदान की है:-

क्र. सं.	नामित डॉक्टर का नाम व पता	केन्द्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या	बीमितों की संख्या
1	2	3	4	5
1	डॉ. संजय गुप्ता जुनियर स्पेशलिस्ट (मेडिसीन) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।	जोधपुर बासनी, बालोतरा, गोटन, बोरानाडा, सांगरिया, जसौल	20761 24226	21220 25356
2	डॉ. (श्रीमती) एस. डी. मेठानी, चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बापू नगर, भीलवाड़ा।	भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा, गंगापुर	34656 11836 1601	35419 12209 1696
3	डॉ. विजय नारायण भटनागर, (सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय) 3/21, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला-हनुमानगढ़।	हनुम नगढ़ श्रीगंगानगर	2924 2873	3049 2923

उक्त तीनों अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्येक सप्ताह 3 सत्र के लिए उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक सत्र की अवधि 2.00 घंटे होगी।

क्रमशः...

क्र. 2 2

मुख्यालय के पत्र सं. यू-13/12/13/05 चिकि.1/पी.टी.एम. आर. दिनांक 1.10.2008 के अनुसार क्र. सं. 1 व 2 पर वर्णित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी जो राज्य सरकार के पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी हैं, को प्रतिमाह रु. 3000/- रिमुनेरेशन (Remuneration) के रूप में देय होंगे तथा क्र. सं. 3 पर वर्णित सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी श्री विजय नारायण भटनागर को रु. 5000/- (पाँच हजार मात्र) प्रतिमाह रिमुनेरेशन (Remuneration) के रूप में देय होंगे।

उक्त वर्णित सभी अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी अपने तीनों सत्रों के लिए प्रतिमाह रुपये 100/- रिमुनेरेशन (Remuneration) पर एक अंशकालिक लिपिक रखेंगे।

क्र. सं. 1 व 2 पर वर्णित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी बीमितों को कॉलम सं. 2 पर वर्णित पते पर देखेंगे तथा क्र. सं. 3 पर वर्णित डॉ. विजय नारायण भटनागर, बीमितों को शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई धान मंडी के अंदर, प्लॉट नं. 213, हनुमानगढ जंक्शन में देखेंगे।

संबंधित शाखा प्रबंधक को इस निर्देश के साथ कि वे नामित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के लिए arrangement for supply of necessary and other materials E.I. extract of ESI Act, Medical Manual and LO Manual उपलब्ध करवाएंगे।

*निशा दीगरा*

( डा. निशा दीगरा )  
राज्य चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी।
2. चिकित्सा आयुक्त (मेड-1), मुख्यालय, कराबी. निगम, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली।
3. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, उदयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
7. सहायक निदेशक (नकद हितलाभ शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
8. सहायक निदेशक (पी.आर.), क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर।
9. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कराबी निगम, जोधपुर/भीलवाडा/हनुमानगढ/चित्तौड़गढ/श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी से उपर्युक्त वर्णित विवरणानुसार बीमितों को देखने हेतु समय निश्चित करें एवं शाखा प्रबंधक, जोधपुर/भीलवाडा/हनुमानगढ को इस अनुरोध के साथ कि वे संलग्न कार्यालय आदेश की प्रति अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी को सुपुर्द कर पावती इस कार्यालय को भेजें।
10. चिकित्सा निर्देशी, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
11. सूचना पट्ट